

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8(ग)( )नियम/डीएलवी/19/43082

दिनांक: 15/06/2020


अधिसूचना

पूर्व में जारी अधिसूचना दिनांक 25.02.2006, 15.07.2003 व 01.03.2011 में आंशिक संशोधन करते हुए, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 (सन् 2003 का अधिनियम संख्या 1) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्तमान में कार्यरत किराया अधिकरण, जयपुर का नाम परिवर्तित करते हुए, किराया अधिकरण, जयपुर महानगर द्वितीय निर्धारित करती है एवं उक्त अधिनियम के तहत प्रकरणों की सुनवाई हेतु निम्नलिखित न्यायालयों को किराया अधिकरण के रूप में गठित कर क्षेत्राधिकार निम्नानुसार निर्धारित करती है:-

क्र.सं.	न्यायालय का नाम	किराया अधिकरण का नाम	क्षेत्राधिकार
1.	अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजि. संख्या 1, जयपुर महानगर-प्रथम	किराया अधिकरण संख्या 1, जयपुर महानगर - प्रथम	किराया नियंत्रण अधिनियम, 2003 के तहत जयपुर महानगर- I न्याय क्षेत्र के अधीन आने वाला नगरपालिका क्षेत्र
2.	अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य महानगर मजि. संख्या 5, जयपुर महानगर-प्रथम	किराया अधिकरण संख्या 2, जयपुर महानगर - प्रथम	किराया नियंत्रण अधिनियम, 2003 के तहत जयपुर महानगर- I न्याय क्षेत्र के अधीन आने वाला नगरपालिका क्षेत्र
3.	किराया अधिकरण, जयपुर महानगर द्वितीय	किराया अधिकरण, जयपुर महानगर द्वितीय	किराया नियंत्रण अधिनियम, 2003 के तहत जयपुर महानगर-II न्याय क्षेत्र के अधीन आने वाला नगरपालिका क्षेत्र

नोट:- क्रम संख्या 1 व 2 में उल्लेखित न्यायालयों का क्षेत्राधिकार जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-I द्वारा निर्धारित किया जायेगा।


राज्यपाल के आदेश से.

  
(उज्ज्वल राठौड़)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
7. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर।
8. रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच जयपुर।
9. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
10. जिला कलक्टर, जयपुर।
11. जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपुर महानगर (प्रथम) व (द्वितीय)।
12. महानिदेशक, आरक्षी/जेल, राजस्थान जयपुर।
13. निदेशक, अभियोजन/वादकरण, राजस्थान जयपुर।
14. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
15. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ।
16. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर राजस्थान।
17. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
18. सुरक्षित पत्रावली।

  
(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी